

पत्रावली राज. राज्य लोक न्यायलय के
 पेडा हुयी वादीया के वकील (कपिलेश)
 पेशकार सखार उपर) पेशकार सखार
 से जवाब लिखा गया। उभाप पेशी को सुन
 गया। पत्रावली एवं उक्त पर उपलब्ध
 दस्तावेजों का प्रवलोकन किया गया।
 मोगिया ड्रेड बंदोबस्त सं. 1980 ई.
 ग्राम उतिपारा में खण्ड 2415
 त्रिभुजाकार स्थिति में है। हाल नम्बर
 ड्रेड ग्राम उतिपारा में हाल खण्ड
 2638 के दो टुकड़े कर दिए हैं।
 नाथक तहसीलदार सरकारी पेशकार ने
 भी अपने जवाब में माना है कि
 वीथान जिला स्वयंसेवक समिति लोक सेवा
 जारी नम्बर ड्रेड व पटवारी हलका
 द्वारा जारी नम्बर ड्रेड में भिन्नता है।
 इस प्रकार स्पष्ट है कि हाल नम्बर
 ड्रेड में बिना निश्चय न्यायलय के आदेश
 के परिवर्तन किया गया है, जो उचित नहीं है।



राज्य लोक न्यायलय की

भावना के मध्य तजर वादीया का जवाब डिडि
 किया जाता उचित है। अतः वाड वादीया के ड्रेड
 किया जाकर तहसीलदार उतिपारा को आदेशित
 किया जाता है कि वे ग्राम उतिपारा में लोक
 न्याय ड्रेड खण्ड 2415 के आदेशित हाल नम्बर
 ड्रेड को सुरक्षित रखें। पत्रावली जारी है।
 फाइल नम्बर अपना-2 वदन करे पत्रावली
 को (नाथक) देना पत्रावली के रूप में है।

उपस्थित अधिकारी
 नियारा

(डिक्री)

प्रपत्र -5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार

उनवान

श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री रामबाबू सोनी जाति स्वर्णकार निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक

-वादी

बनाम

1. मोहनसिंह पुत्र भोलूसिंह जाति बारी निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. नारायणसिंह पुत्र भोलूसिंह जाति बारी निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
3. नवलसिंह पुत्र भोलूसिंह जाति बारी निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
4. अन्तुसिंह पुत्र भोलूसिंह जाति बारी निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
5. राकेश पुत्र गोपीलाल जाति खटीक निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
6. भंवरलाल पुत्र उद्दालाल जाति बैरवा निवासी शहादतनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
7. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 87 वर्ष 2015

वादी की ओर से श्री के0एल0 ठाडा वकील वादी प्रतिवादी न0 7 की ओर से परोकार सरकार नायब तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.6.2016 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे ग्राम उनियारा की साबिक नक्शा ट्रेस ख0न0 2415 के अनुसार हाल नक्शा ट्रेस को दुरुस्त करे। फरिकेन खर्च अपना-अपना वहन करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 06 सन् 2016 को जारी की

गई।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक